संख्या- 74 **/2026/I/** 1282557 **/2026/71-1001(099)/146/2021**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 29 **मार्च, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/683, दिनॉक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 330.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-789-03-02-राजकीय मेडिकल कालेज, जालौनके विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वंय उत्तरदायी होंगे।
5. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	29 अनुरक्षण	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
2	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	39 औषधि तथा रसायन	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
3	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	41 भोजन व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**
महायोग				2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 28-03-2026 19:12:55

भवदीय,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-001-71-1001-099-146-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज जालौन के विभिन्नम मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्याम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बान्धद में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	09 (विद्युत देय)	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	7,65,00,000 रुपये सात करोड़ पैंसठ लाख मात्र
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	03 (मंहगाई भत्ता)	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	3,61,52,000 रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख बावन हजार मात्र	1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	15,35,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ पैंतीस लाख मात्र
कुल					₹ 3,30,00,000	₹ 2,00,00,000	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	41 (भोजन व्यय)	1,80,00,000 रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2,30,00,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 3,30,00,000	₹ 2,00,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	39 (औषधि तथा रसायन)	9,00,00,000 रुपये नौ करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2025-2026
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	29 (अनुरक्षण)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	90,00,000 रुपये नब्बे लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 3,30,00,000	₹ 2,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उरई, जालौन ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2026 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-789-03-02- राजकीय मेडिकल कालेज जालौन के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रूऋ 330.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उरई, जालौन ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2026 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेडिकल कालेज जालौन में मानक मद- 29-अनुरक्षण में रू0 50.00 लाख, मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0 200.00 लाख एंव मानक मद 41-भोजन व्यय में रू0 80.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 330.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-651-E-3-434-X-2025-26-दिनांक: 24-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)

उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्साव शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।